 प्रकाशन हेतु अनुमोदित

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय: जबलपुर

दांडिक अपील संख्या: 368 / 1990

अपीलकर्ता (निरुद्ध)	:	भूषण आ० नारायण नाई, आयु – 29 वर्ष, निवासी- मारोद, थाना- कुरूद, जिला- रायपुर

विरुद्ध

प्रतिवादीगण	:	मध्यप्रदेश राज्य

दांडिक अपील अंतर्गत 374(2) दंड प्रक्रिया संहिता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

XI-HC-78

उच्च न्यायलय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

मामला क्रमांक दा०अ० 368/90

आदेश पत्रक (पुर्वानुबद्ध)

25.01.2007

श्री जनक राम वर्मा और श्री सी.आर. साहू, अपीलकर्ता के अधिवक्ता।

श्री संदीप यादव, उप शासकीय अधिवक्ता राज्य की ओर से।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

न्यायालय का निर्णय इस प्रकार पारित किया गया:

मौखिक निर्णय

25.01.2007

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

यह अपील सत्र प्रकरण क्रमांक 557/89 में दिनांक **23 मार्च 1990** को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा अभियुक्त/अपीलकर्ता को **भारतीय दंड संहिता की धारा 376** के अंतर्गत **दोषी ठहराया गया** और **7 वर्ष का कठोर कारावास** तथा **₹1000/- के जुर्माने से दण्डित किया गया**। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अपीलकर्ता को **अतिरिक्त 4 महीने का कठोर कारावास** भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष का मामला इस प्रकार है कि अभियोक्त्री, जिसका नाम कु. अश्वनी बाई है, एक अल्पवयस्क बालिका (आयु लगभग 13 वर्ष) है, वह घटना के दिन दोपहर लगभग 12 बजे अपने घर के पास खेल रही थी। उस समय उसके माता-पिता मौजूद नहीं थे। दोपहर लगभग 1 बजे अभियोक्त्री के पड़ोसी जो की अपीलकर्ता है वहां आया और अभियोक्त्री को एक 'कोठा' (जहाँ पैरा आदि रखा जाता है) में ले गया, उसे पैरा पर लिटा दिया और उसके साथ शारीरिक सम्भोग किया। जब अभियोक्त्री के पिता शाम को घर आये तब अभियोक्त्री ने उक्त घटना की जानकारी उन्हें दी, जिसके पश्चात अभियोक्त्री, उसके पिता एवं अन्य ग्रामीणगण संबंधित पुलिस थाना गए और वहाँ

शिकायत दर्ज कराई। सर्वप्रथम अभियोक्त्री की परिवाद पुलिस थाना के रोज़नामचासान्हा(दैनिक डायरी) क्रमांक 661 में, पत्रक प्रदर्श/11 के अनुसार दर्ज की गई। तत्पश्चात, अभियोक्त्री को पुलिस मेमो (प्रदर्श पी /7) के तहत चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजा गया। उसका चिकित्सकीय परीक्षण डॉ. (श्रीमती) एम. पुरोहित (प्रदर्श पी /10) द्वारा किया गया, जिन्होंने उसका प्रतिवेदन (प्रदर्श पी /9) तैयार किया। पुलिस द्वारा चिकित्सकीय प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरांत, अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 354 तथा 511 के अंतर्गत पप्रथम सूचना पत्र (प्रदर्श पी /12) पुलिस थाना में पंजीबद्ध की गई और विवेचना प्रारंभ हुई। विवेचना अधिकारी द्वारा घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श पी /6) तैयार किया गया तथा अभियोक्त्री के अंडरवियर को भी जप्त किया गया और गवाहों के कथन भी दर्ज किए गए। जांच की प्रक्रिया के दौरान अभियुक्त/अपीलकर्ता को अभिरक्षा में लिया गया तथा उसका भी चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया और उसकी चिक्तिस्कीय प्रतिवेदन (प्रदर्श पी /3**A**) तैयार किया गया। अस्पताल द्वारा भेजे गए अंडरवियर, बाल एवं स्लाइड, जिन्हें वस्तु **A**, **B** एवं **C** के रूप में चिह्नित किया गया था, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर को रासायनिक परीक्षण हेतु भेजे गए। प्राप्त प्रतिवेदन (प्रदर्श पी /5-**B**) के अनुसार, उक्त वस्तुओं पर वीर्य आदि नहीं पाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तत्पश्चात अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376 भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोग-पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धमतरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने दिनांक 31/01/1989 को प्रकरण सुनवाई हेतु सत्र न्यायालय को उपार्पित किया, जहाँ से यह मामला स्थानांतरित होकर न्यायालय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर को प्राप्त हुआ।, न्यायालय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर ने मामले की विचारण किया विद्वान द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित किया। जिसे कि अपीलार्थी ने अस्वीकार किया।

अभियोजन पक्ष ने अपना मामला स्थापित करने के लिए कुल 11 अभियोजन गवाहों को पेश किया। उसके पश्चात्, अभियुक्त/अपीलकर्ता का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया। और बचाव पक्ष ने भी 2 गवाह प्रस्तुत किये।

विद्वान् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के उपरांत, अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी पाया और उसे उक्त अनुसार दंडित किया।

अपीलकर्ता की दोषसिद्धि अभियोजन पक्ष की एकमात्र गवाही पर आधारित है जिसे प्रथम सूचना पत्र के साथ साथ अभियोजन पक्ष के पिता लखन सिंह (प्रदर्श पी /2) के साक्ष्य द्वारा भी पुष्ट माना गया है।

अपीलकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है की, अभियोक्त्री की एकमात्र गवाही पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है क्यूंकि यह विश्वास को प्रेषित नहीं करती और उसका कथन स्वाभाविक व सत्य प्रतीत नहीं होता। उन्होंने यह भी तर्क दिया की अभियोक्त्री का कथन अतिरंजित है और उसके पिता के कथन प्रथम सूचना पत्र और चिकित्सकीय साक्ष्यों से समर्थित नहीं है अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानकर विधिक त्रुटि की है, कि अभियोक्त्री ने उपरोक्त साक्ष्य द्वारा संस्करण का समर्थन किया था और उक्त सामग्री के आधार पर दोषसिद्धी को अपास्त किये जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दूसरी ओर, राज्य की ओर से माननीय अधिवक्ता इन तर्कों का विरोध करते हैं तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के दंडादेश का समर्थन करते हैं।

मैंने दोनों पक्षों के माननीय अधिवक्ताओं की विस्तार से बहस सुनी है तथा सत्र विचारण के अभिलेख का भी अवलोकन किया है।

दिलीप बनाम मध्यप्रदेश राज्य के मामले में, जैसा कि (2001) 9 एस.सी.सी. 452 में प्रकाशित है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यह विधि द्वारा स्थापित सिद्धांत है कि अभियोक्त्री के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है, भले ही उस साक्ष्य की भौतिक तथ्यों में पुष्टि न हो।

हालाँकि, यह सिद्धांत कि अभियोक्त्री का एकमात्र साक्ष्य स्वीकार्य है, विशेष रूप से यौन अपराधों के मामलों में न्यायालयों द्वारा उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए।

उक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जहाँ अभियोक्त्री के साक्ष्य में कमियाँ पाई गईं — जो चिकित्सा साक्ष्य और प्रदर्श पी /3 (मौसी) द्वारा दिए गए कथन से विरोधाभासी थीं, जिन्हें अभियोक्त्री ने बलात्कार की

घटना के तुरंत बाद बताया था — वहाँ मात्र उसके एकल साक्ष्य पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता।"

विमल सुरेश काम्बले बनाम चालूवेरापिनाके अपाल एस. पी. और अन्य (2003) 3 एस.सी.सी. 175 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अभियुक्त की दोषसिद्धि केवल अभियोक्त्री के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर की जा सकती है। किन्तु यह तभी संभव है जब उसका साक्ष्य विश्वास योग्य हो, तथा स्वाभाविक और सत्य प्रतीत होता हो।

हालाँकि, उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि उस प्रकरण में अभियोक्त्री का साक्ष्य उस स्तर का नहीं था और अभिलेख में ऐसा कोई अन्य साक्ष्य भी नहीं था जो कम से कम पुष्टि के स्तर पर यह आश्वस्त कर सके कि अभियोक्त्री सत्य बोल रही है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अतः उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एक संभावित और उचित दृष्टिकोण है और इसलिए उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

अतः यह स्पष्ट है कि यद्यपि केवल अभियोक्त्री के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि करने पर कोई विधिक प्रतिबंध नहीं है, तथापि ऐसी दोषसिद्धि तभी की जा सकती है जब उक्त साक्ष्य विश्वास को प्रेषित करता हो तथा स्वाभाविक एवं सत्य प्रतीत होता हो।

परन्तु जब अभियोक्त्री के एकल साक्ष्य में स्पष्ट त्रुटियाँ पाई जाएँ और उसका कथन अभिलेख में उपलब्ध अन्य साक्ष्यों से विरोधाभासी हो तथा उसमें पुष्टिकरण का अभाव हो, तो केवल ऐसे साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि किया जाना संभव नहीं होता।

यदि हम वर्तमान मामले के अभिलेखों की जाँच करें, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोक्त्री, जिसका आ. सा. 1 के रूप में परिक्षण किया गया था, ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि जब वह अपने घर के पास खेल रही थी, तो अपीलकर्ता उसके घर आया और उसे एक कमरे (कोठा) में ले गया, उसे पैरा पर लिटा दिया और उसके बाद, उसके अंडरवियर उतार दिए, दरवाज़े बंद कर दिए

और कहा कि वह ये बातें किसी को नहीं बताएगी और उसने अपना गुप्तांग उसके गुप्तांग में डाल दिया, जिस पर वह रोने लगी। उसने यह भी कहा कि उसके बाद, स्राव हुआ और फिर, अपीलकर्ता ने दरवाज़ा खोला और अभियोक्ती कमरे से बाहर चली गई। उसने आगे कहा कि उसने यह कहानी अपनी माँ, पिता और अभियुक्त की माँ को भी सुनाई थी।

न्यायालय द्वारा यह अवलोकन किया गया कि अभियोक्त्री मानसिक रूप से दुर्बल प्रकृति की थी तथा मिर्गी की बीमारी से भी ग्रसित थी और वह प्रश्नों को समझने में असमर्थ थी। इन कारणों से, विचारण न्यायालय ने उक्त साक्षी की गवाही बिना शपथ दिलाए दर्ज की। जिरह के दौरान, अभियोक्त्री ने इशारों के माध्यम से उत्तर दिए और यह स्वीकार किया कि अपीलार्थी (अभियुक्त) एवं उसकी पत्नी दोनों उस स्थान पर गए थे, जहाँ वह खेल रही थी। चूँकि वह फटा हुआ अंडरवियर पहने हुए थी, इस पर अपीलार्थी ने नया अंडरवियर खरीदने की बात कही। उससे यह प्रश्न किया गया कि क्या अपीलार्थी ने उससे यह पूछा था कि वह सड़क पर नग्न अवस्था में क्यों बैठी है, जिस पर उसने नकारात्मक उत्तर दिया। हालाँकि, उसने जिरह में यह भी कहा कि अपीलार्थी उसे 'कोठा' (घटनास्थल) पर ले गया और वहाँ उसे धक्का दिया। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि जब उससे यह प्रश्न किया गया कि पुलिस थाना में प्रतिवेदन दर्ज कराने कौन गया था, तब अभियोक्त्री ने अभियुक्त/अपीलार्थी की ओर इशारा किया। दूसरे ही प्रश्न पर कि क्या उसे चिकित्सकीय परीक्षण हेतु ले जाया गया था, उसने पुनः सिर हिलाकर नकारात्मक उत्तर दिया। जब यह पूछा गया कि क्या पुलिस ने उसका कथन दर्ज किया था, तो उसने उत्तर दिया कि नहीं, कोई पुलिस कथन दर्ज नहीं हुआ। अंतिम प्रश्न में, जब यह पूछा गया कि क्या उसने स्वयं किसी भी प्रकार का प्रतिवेदन पुलिस थाना में दर्ज कराई थी, तो उसने सिर के इशारे से इसका भी नकारात्मक उत्तर दिया।

यदि हम अभियोक्त्री द्वारा दर्ज कराई गई रोजनामचा-सान्हा प्रतिवेदन का अवलोकन करें, तो यह प्रतीत होता है कि अभियोक्त्री ने अपीलार्थी द्वारा बलात्कार (यौन संबंध) किए जाने का कोई स्पष्ट आरोप नहीं लगाया है। उसने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

केवल इतना कहा है कि अपीलार्थी ने उसे अंडरवियर उतारने के लिए कहा था और बाद में उसे पुनः पहनने के लिए कहा। उसने अपनी योनि (गुप्तांग) की ओर संकेत करते हुए उसमें दर्द होने की बात कही। जब पुलिस अधिकारी ने उससे स्पष्ट रूप से यह पूछा कि वहाँ दर्द क्यों है, तो वह कोई उत्तर नहीं दे सकी, और इसके पश्चात उसने केवल इतना कहा कि अपीलार्थी ने उसके साथ गाली-गलौच की।

इस पर, रोजनामचा-सान्हा तैयार करने वाले अधिकारी ने यह उल्लेख किया कि स्थिति स्पष्ट नहीं थी; अतः पुलिस ने प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने से पूर्व ही अभियोक्त्री को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेज दिया। चिकित्सा परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात प्रथम सूचना पत्र (प्रदर्श पी /12) दर्ज की गई। रोजनामचा-सान्हा प्रतिवेदन एवं अभियोक्त्री द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना पत्र में अपीलार्थी द्वारा यौन संबंध स्थापित किए जाने के आरोप का उल्लेख न होना निश्चित रूप से अभियोजन के लिए घातक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यदि अभियोक्त्री दिनांक 7/9/1989 को न्यायालय में दिए गए अपने बयान में अपीलार्थी द्वारा पूर्ण प्रवेशन की स्पष्ट रूप से चर्चा कर सकती है, तो उसे यह तथ्य 20/8/1988 को संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की जा रही रोजनामचा-सान्हा में भी अवश्य ही उल्लेखित करना चाहिए था।

ऐसा प्रतीत होता है कि चूँकि अभियोक्त्री अपीलार्थी द्वारा यौन संसर्ग किए जाने के संबंध में कुछ स्पष्ट रूप से कहने में असमर्थ थी, संभवतः इसी कारण पुलिस ने प्रारंभ में प्रथम सूचना पत्र दर्ज नहीं किया और मामले को केवल रोजनामचा-सान्हा में की गई प्रविष्टियों तक सीमित रखा। जब चिकित्सकीय प्रतिवेदन प्राप्त हुई, तब भी उसमें कोई विशेष खुलासा नहीं था। इसके उपरांत, 23/8/1988 को पुलिस द्वारा एक क्वेरी की गई और जब उस की प्रतिवेदन प्राप्त हुई जिसमें यह संकेत दिया गया कि आंशिक प्रवेशन की संभावना हो सकती है तभी जाकर प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया।

ये वे त्रुटियाँ हैं जो अभियोक्त्री द्वारा पूर्ण प्रवेशन के संबंध में दिए गए साक्ष्य में परिलक्षित होती हैं। इतना ही नहीं, यदि चिकित्सा प्रतिवेदन (प्रदर्श पी

/9) एवं महिला चिकित्सक डॉ. (श्रीमती) एम. पुरोहित के कथन पर दृष्टिपात किया जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि अभियोक्त्री के शरीर पर कोई बाह्य चोट नहीं पाई गई थी, और उसके जननांग पर भी कोई स्पष्ट चोट नहीं थी। हालाँकि, दाहिनी लिबिया पर हल्का घाव का निशान था, योनि में संक्रमण तथा कुछ सूजन पाई गई थी। चिकित्सकीय परीक्षण के समय अभियोक्त्री ने दर्द की परिवाद की थी। अभियोक्त्री का हाइमन सुरक्षित पाया गया। चिकित्सक का मत था कि योनि में किसी प्रकार का प्रवेशन नहीं हुआ था तथा जो घाव का निशान था, वह संक्रमण के कारण उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है। केवल इतना ही नहीं, चिकित्सक ने यह भी अभिमत दिया कि अभियोक्त्री मानसिक रूप से दुर्बल प्रकृति की प्रतीत होती है और इसके लिए उसे मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श लेने की सलाह दी गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियोक्त्री के पिता को अभियोजन पक्ष ने साक्षी संख्या 2 (प्रदर्श पी/2) के रूप में परीक्षित किया गया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जब वे खेतों से लौटकर आए, तो अभियोक्त्री रो रही थी। उसने शिकायत की कि अभियुक्त ने उसके साथ 'दुर्व्यवहार' किया है। प्रारंभ में, उन्होंने 'दुर्व्यवहार' का अर्थ केवल अपशब्द कहे जाने या अनुचित भाषा के प्रयोग के रूप में समझा। किन्तु जब अभियोक्त्री उन्हें 'कोठा' (घटनास्थल) पर ले गई और वहाँ हुई घटना के संबंध में विस्तार से बताया, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि वास्तव में उसके साथ बलात्कार किया गया है। अभियोक्त्री द्वारा घटना का विवरण दिए जाने के उपरान्त, उन्होंने गाँव के कोटवार एवं अन्य व्यक्तियों से परामर्श किया और उसके बाद अभियोक्त्री को साथ लेकर थाना पहुंचकर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराई।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि अभियोक्त्री ने अपने पिता को प्रारम्भिक अवसर पर यह तथ्य नहीं बताया कि अभियुक्त द्वारा उसके साथ यौन सम्बन्ध स्थापित किया गया था। वास्तव में, प्रारम्भ में पिता ने केवल यह समझा कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया है। किन्तु जब अभियोजिका उसे 'कोठा" स्थल पर लेकर गई, तभी वह इस निष्कर्ष पर पहुँच सका और समझ पाया कि उसके साथ बलात्कार किया गया है।

अभियोक्त्री द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में प्रस्तुत पूर्ण प्रवेशन संबंधी कथन का समर्थन अभियोक्त्री के पिता के बयान, चिकित्सक के बयान, रोजनामचा-सान्हा तथा प्रथम सूचना पत्र की विषय-वस्तु से नहीं होता है। वास्तव में, अभियोक्त्री के बयान में ऐसी कमियाँ एवं विरोधाभास हैं, जिनके कारण उसका कथन इस न्यायालय का विश्वास उत्पन्न नहीं करता। इस परिस्थिति में, अभियोक्त्री के कथन के लिए पुष्टिकरण आवश्यक था, किन्तु उसका कथन न तो प्रथम सूचना पत्र से और न ही रोजनामचा-सान्हा या अभियोक्त्री के पिता के बयान से पुष्ट होता है, बल्कि उक्त साक्ष्यों के द्वारा उसका कथन विरोधाभासी पाया गया है।

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मेरा मानना है कि अभियोक्त्री का एकमात्र कथन इतना विश्वसनीय नहीं है कि उसके आधार पर अभियुक्त (अपीलकर्ता) को दोषसिद्ध किया जा सके। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोक्त्री के कथन एवं चिकित्सीय साक्ष्य को आधार बनाकर दी गई दोषसिद्धि विधि के अनुरूप नहीं है तथा यह अपास्त किये जाने योग्य है, परिणाम स्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

अभियुक्त (अपीलकर्ता) को दिए गये दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किए जाते हैं तथा उसे उन आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलकर्ता वर्तमान में जमानत पर है; अतः उसकी जमानत बंधपत्र उन्मोचित किये जाते है। यदि अपीलकर्ता किसी अन्य प्रकरण में वांछित / आवश्यक न हो तो उसे तत्काल मुक्त कर दिया जाए।

-/ सही /-

सुनील कुमार सिन्हा

(न्यायाधीश)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated by Adv Deepali Gupta